स्वीकृति शक्ति 15 H.P. अश्व शक्ति

स्वीकृति संख्या 2819 दिनांक 28/04/23

स्वीकृति विधा LMV-5 निजी नलकूप

प्रकमण शुल्क रु० 100/- रसीद सं० P-53637596 दिनांक 20/4/23

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम

P.96.

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

11 के०वी० इटौरा

सिकन्दरा, आगरा

रजिस्टर्ड

सशर्त / सामान्य / पूर्ण जमा योजना

पत्रांक 3231 /वि०वि०खं०(प्र०)आ०/टी०सी०/निजी नलकूप संयोजन दिनांक 28/04/2023

श्री मनमोहन पुत्र श्री मानिकचन्द ग्राम ग्र०न०-88920 इटौरा

पोस्ट इटौरा ब्लॉक ब०अहरि तहसील सदर जिला आगरा

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत विद्युत शक्ति से सम्बन्धित व्यय का लेखा जोखा इस कार्यालय में प्राप्त हो गया है। आपको संयोजन पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की स्वीकृति व पालन करने की अवस्था में दिया जायेगा।

1. आप अनुबन्ध करने की तिथि को निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में जमा कर दें।

(अ) जमानत की धनराशि	रु० 4500=00
(ब) सर्विस कनेक्शन की धनराशि	रु० 1,01,729=00
(स) फिक्सड चार्जेज की धनराशि	रु० 4957=00
(द) अन्य चार्जेज	रु० /
(य) अनुदान धनराशि	रु०
	योग रु० 1,11,186=00

(रुपये शब्दों में एक लाख ग्यारह हजार एक सौ छियासी मात्र)

2. आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 15 लाइन पड़ने के कारण 1,11,166=00 रु० का अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा।

3. मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष में "0043-102" बिजली पर कर एवं शुल्क भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत रू० 1175/– जमा करना होगा। चालान प्रति प्रस्तुत करनी है।

4. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33 के० वी० विद्युत सब स्टेशन बाद से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी। सामान ढुलाई के साथ निगम का चतुर श्रमिक (Skilled Labour) जायेगा तथा शीघ्र कार्य शुरू कर देगा।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

५. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईंट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ता है। उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

६. कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसका भी आपको प्रबन्ध करना प[illegible]

नोट:- १. आपको अपने कनेक्शन के साथ आई.एस.आई. मार्का शन्ट कैपिस्टर (जी.एस.टी. बिल सहित) लगाना अनिवार्य होगा।

२. केबिल, उपभोक्ता स्वयं उपलब्ध करायेगा।

३. उपभोक्ता को समय-समय पर निगम द्वारा दिये निर्देशों का पालन करना होगा।

नोट:-

1. सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा एंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी। प्रति खम्भा-सीमेंट 06 बोरी, बालू 3 घन फीट, मिट्टी (ब्रिक ब्लास्ट) 6 घन फीट, प्रति स्टे-सीमेंट 03 बोरी, बालू 15 घन फीट, मिट्टी (ब्रिक-ब्लास्ट) 3 घन फीट।

(अ) एच.टी./एल.टी. लाइन हेतु- 80 मैनडेज प्रति किलो मीटर

(ब) सब-स्टेशन-40 मैनडेज प्रति सब स्टेशन

2. आपके कार्य करने के लिए..........................मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखी शर्त मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे प्रात: से दोपहर 1 बजे तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में पधार कर एंग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।

(अ) नान जूडीशियल 100 रु. का जनरल स्टाम्प तथा एक रुपये का रसीदी टिकट (Revenue Stamp) साथ लायें।

(ब) आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपको वायरिंग पूरा होगा। ऊपर लिखी सब राशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज की रसीद लाइन चार्जेज की रसीद और बी एण्ड एल फार्म और मीटर डिक्लेरेशन फार्म (मीटर मुआइना के ट्रेजरी चालान सहित) अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उसकी रसीदें प्राप्त कर लें।

यदि आप उपरोक्त शर्तें 30 दिन तक पूरा नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है। प्रभार स्वीकृति स्वत: ही निरस्त समझी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक...................../वि०वि०खं०(प्र०)आ०/ दिनांक ....

प्रतिलिपि:-

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड...

2. हैड कैशियर वि.वि.खं. (प्र.) आगरा को इस आशय के साथ कि भुगतान की सूचना संगणक को देने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner